



कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित
“वन धन भवन”

सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

E-mail: mfprecruitments@gmail.com; ☎ (0771) 2513100

Website: www.cgmfpfed.org

सूचना दिनांक /03/2023

आयुर्वेदिक इकाई जामगाँव (एम), पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.) में संविदा पदों पर नियुक्ति हेतु

// विज्ञापन //

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित, नवा रायपुर अटल नगर अंतर्गत छत्तीसगढ़ हर्बल्स आयुर्वेदिक इकाई जामगाँव (एम) पाटन के संचालन एवं संधारण हेतु आवश्यक मानव संसाधन संरचना अनुरूप संविदा पदों पर भर्ती किया जाना है। संविदा नियुक्ति हेतु योग्य आवेदकों से आवेदन पत्र दिनांक **10.04.2023 (सोमवार)** सायं **05:30** तक स्पीड पोस्ट/डाक के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं। सरल क्रमांक 08 से 15 तक के पदों के लिये अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवश्यकतानुसार विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

क्रं.	पदनाम	पद संख्या	संवर्ग	एक मुश्त मासिक मासिक संविदा वेतन (रु.में)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	न्यूनतम अनुभव	अतिरिक्त (Desirable) योग्यता
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुख्य परिचालन अधिकारी	01	अनारक्षित	94,430/-	एम.एस.सी. केमेस्ट्री/ बायोटेक्नोलॉजी, एम. फार्म/बी.ई./बी.टेक. (केमि./मेके.)	औषधि निर्माण/सीनियर एक्जीक्यूटिव या विभाग प्रमुख (HOD) के रूप में केन्द्र शासन/राज्य शासन/सार्वजनिक उपक्रम में न्यूनतम 15 वर्ष का अनुभव	एम.बी.ए. को प्राथमिकता
2	महाप्रबंधक (उत्पादन और प्रशासन)	01	अनारक्षित	86,270/-	एम.डी. (आयुर्वेद)	औषधि निर्माण/फूड प्रोसेसिंग/कास्मेटिक उत्पादन के क्षेत्र में, केन्द्र शासन/राज्य शासन/सार्वजनिक उपक्रम में न्यूनतम 07 वर्ष का अनुभव	----
3	प्रबंधक (रखरखाव)	01	अनारक्षित	58,170/-	बी.ई./बी.टेक. (मेकेनिकल)	किसी भी इण्डस्ट्री में मशीनों के रख-रखाव के क्षेत्र में न्यूनतम 07 वर्ष का अनुभव	----
4	प्रबंधक (वित्त और वाणिज्यिक)	01	अनारक्षित	58,170/-	एम.कॉम. एवं सी.ए.	केन्द्र शासन/राज्य शासन के उपक्रम अथवा निजी औद्योगिक संस्था में वित्तीय प्रबंधन में न्यूनतम 07 वर्ष का अनुभव	एम.बी.ए. (फाइनेंस) को प्राथमिकता
5	सहायक प्रबंधक (उत्पादन)	01	अनारक्षित	40,840/-	बी.ए.एम.एस.	औषधि निर्माण/फूड प्रोसेसिंग/कास्मेटिक इंडस्ट्रीज में उत्पादन क्षेत्र में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव	----
6	सहायक प्रबंधक (रखरखाव)	01	अनारक्षित	40,840/-	बी.ई./बी.टेक. (मेकेनिकल)	किसी भी इण्डस्ट्री में मशीनों के रख-रखाव के क्षेत्र में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव	----

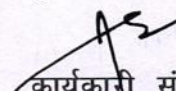
[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

1	2	3	4	5	6	7	8
7	सहायक प्रबंधक (स्टोर-रॉ-मटेरियल)	01	अनारक्षित	40,840/-	बी.ई./बी.टेक. (इलेक्ट्रिकल/मेकेनिकल)	औषधि निर्माण/फूड प्रोसेसिंग/कास्मेटिक इंडस्ट्रीज भंडारण/इन्वेट्री मैनेजमेंट/प्रोक्योरमेंट में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव	एम.बी.ए. को प्राथमिकता
8	कनिष्ठ अभियंता (रखरखाव)	01	अनारक्षित	31,450/-	बी.ई./बी.टेक. (इलेक्ट्रिकल/मेकेनिकल)	किसी भी इण्डस्ट्री में मशीनों के रख-रखाव के क्षेत्र में न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव	----
9	लैब केमिस्ट (जीवविज्ञान)	01	अनारक्षित	20,900/-	बी.एस.सी. बायोलॉजी	----	लैब केमिस्ट के रूप में अनुभवी को प्राथमिकता
10	लैब केमिस्ट (रसायन विज्ञान)	01	अनारक्षित	20,900/-	बी.एस.सी. रसायन	----	लैब केमिस्ट के रूप में अनुभवी को प्राथमिकता
11	लैब केमिस्ट (सूक्ष्म जीव विज्ञान)	01	अनारक्षित	20,900/-	बी.एस.सी. माइक्रोबायोलॉजी	----	लैब केमिस्ट के रूप में अनुभवी को प्राथमिकता
12	शाखा प्रभारी (पाउडरिंग)	01	अनारक्षित	18,420/-	डिप्लोमा (मेकेनिकल/इलेक्ट्रिकल)	औषधि निर्माण/फूड प्रोसेसिंग/कास्मेटिक इंडस्ट्री के पाउडरिंग कार्य में न्यूनतम 03 वर्ष का सुपरवाइजर का अनुभव	----
13	शाखा प्रभारी (टेबलेट/गुटिका)	01	अनारक्षित	18,420/-	डिप्लोमा (मेकेनिकल/इलेक्ट्रिकल)	औषधि निर्माण/फूड प्रोसेसिंग/कास्मेटिक इंडस्ट्री में टेबलेट/गुटिका निर्माण में न्यूनतम 03 वर्ष का सुपरवाइजर का अनुभव	----
14	शाखा प्रभारी (रसा)	01	अनारक्षित	18,420/-	डिप्लोमा (मेकेनिकल/इलेक्ट्रिकल)	औषधि निर्माण/फूड प्रोसेसिंग/कास्मेटिक इंडस्ट्री में रस निर्माण में न्यूनतम 03 वर्ष का सुपरवाइजर का अनुभव	----
15	शाखा प्रभारी (आसव-अरिष्ट)	01	अनारक्षित	18,420/-	डिप्लोमा (मेकेनिकल/इलेक्ट्रिकल)	औषधि निर्माण/फूड प्रोसेसिंग/कास्मेटिक इंडस्ट्री में आसव-अरिष्ट निर्माण में न्यूनतम 03 वर्ष का सुपरवाइजर का अनुभव	----

टीप :-

- आवेदन पत्र तथा चयन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत निर्देश तथा संविदा नियुक्ति से संबंधित जानकारीयां कार्यालय के वेबसाइट "www.cgmfpfed.org" में प्रदर्शित की जायेगी तथा पृथक से पत्र द्वारा कोई सूचना नहीं दी जायेगी। अतः वेबसाइट का निरंतर समय-समय पर अवलोकन करते रहें।
- आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में केवल स्पीड पोस्ट/डाक से दिनांक **10.04.2023 (सोमवार)** सायं **05:30 तक** ही स्वीकार किये जायेंगे। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- उपरोक्त दर्शित पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित, नवा रायपुर अटल नगर को होगा।


कार्यकारी संचालक
 छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ रायपुर



कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित “वन धन भवन”

सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

E-mail: mfprecruitments@gmail.com; ☎ (0771) 2513100

Website: www.cgmfpfed.org

विभिन्न पदों पर संविदा भर्ती हेतु नियम, शर्तें एवं चयन प्रक्रिया

1. नियुक्ति हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में केवल स्पीड पोस्ट/डाक से दिनांक **10.04.2023 (सोमवार)** सायं **05:30** तक ही स्वीकार किये जायेंगे। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र प्रेषित नहीं किये जायेंगे। व्यक्तिगत रूप से प्राप्त अथवा अन्य माध्यमों से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. **आयु सीमा** -उपरोक्त पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदक की आयु 01.01.2023 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिये। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय नया रायपुर के ज्ञापन क्र.-एफ/3-2/2015/1-3 नया रायपुर दिनांक 30.01.2019 के अनुसार छ.ग. राज्य के मूल निवासियों को सीधी भर्ती के पदों में निर्धारित अधिकतम आयु 35 वर्षों में 05 वर्ष की छूट कैलेंडर वर्ष 01.01.2019 से 31.12.2023 की समाप्ति तक प्रदान की गई है।

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट मिलेगी :-

- (i) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट।
- (ii) अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट।
- (iii) महिला उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट।
- (iv) छत्तीसगढ़ राज्य/निगम/मंडल/संघ के स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष होगी।
- (v) कार्यभारित कर्मचारियों, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में नियोजित व्यक्तियों सहित ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये।
- (vi) ऐसा अभ्यर्थी जो “छंटनी किया गया शासकीय सेवक या संघ का सेवक” हो, उसे अपनी आयु में से पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।
- (vii) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयुसीमा 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (viii) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान एवं महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

- (ix) शिक्षाकर्मियों को अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्षों की छूट होगी, जितने वर्ष उसने शिक्षाकर्म के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयुसीमा तक प्राप्त होगी। इसके लिये 06 माह से अधिक के लिये एक वर्ष सेवा मानी जावेगी।
- (x) संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थियों को उतने वर्ष की छूट प्रदान की जावेगी, जितने वर्ष की उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयुसीमा तक होगी।

महत्वपूर्ण टीप :-

- सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आयु की पुष्टि मूल अभिलेखों से परीक्षण के दौरान 10 वीं की मार्कशीट द्वारा की जावेगी। यदि आवेदक द्वारा गलत जानकारी प्रस्तुत किया जाना पाया गया तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।
- कंडिका क्रमांक 03 में दर्शित तालिका के पद क्रमांक 09, 10 एवं 11 को छोड़कर शेष पदों के लिये अधिकतम आयु सीमा में, कॉलम क्र. 08 में अंकित अनुभव के वर्षों के छूट रहेगी।

3. नियम, शर्तें एवं चयन प्रक्रिया :-

- उक्त पदों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जावेगा। चयन की प्रक्रिया हेतु निर्धारित अंको का विभाजन निम्नानुसार है:-

क्र.	पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता हेतु निर्धारित अंक	अनुभव हेतु निर्धारित अंक								साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंक
			वर्ष	अंक	वर्ष	अंक	वर्ष	अंक	वर्ष	अंक	
01	मुख्य परिचालन अधिकारी	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हेतु 70 अंक	15	00	16	05	17	10	18 एवं अधिक	15	15
02	महाप्रबंधक (उत्पादन और प्रशासन)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हेतु 70 अंक	07	00	08	05	09	10	10 एवं अधिक	15	15
03	प्रबंधक (रखरखाव)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हेतु 70 अंक	07	00	08	05	09	10	10 एवं अधिक	15	15
04	प्रबंधक (वित्त और वाणिज्यिक)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (एम.कॉम) हेतु 70 अंक	07	00	08	05	09	10	10 एवं अधिक	15	15
05	सहायक प्रबंधक (उत्पादन)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हेतु 70 अंक	05	00	06	05	07	10	08 एवं अधिक	15	15
06	सहायक प्रबंधक (रखरखाव)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हेतु 70 अंक	05	00	06	05	07	10	08 एवं अधिक	15	15
07	सहायक प्रबंधक (स्टोर-रॉ-मटेरियल)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हेतु 70 अंक	05	00	06	05	07	10	08 एवं अधिक	15	15
08	कनिष्ठ अभियंता (रखरखाव)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हेतु 70 अंक	02	00	03	05	04	10	05 एवं अधिक	15	15

09	लैब केमिस्ट (जीवविज्ञान)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हेतु 85 अंक	--	--	--	--	--	--	--	--	15
10	लैब केमिस्ट (रसायन विज्ञान)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हेतु 85 अंक	--	--	--	--	--	--	--	--	15
11	लैब केमिस्ट (सूक्ष्म जीव विज्ञान)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हेतु 85 अंक	--	--	--	--	--	--	--	--	15
12	शाखा प्रभारी (पाउडरिंग)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हेतु 70 अंक	03	00	04	05	05	10	06 एवं अधिक	15	15
13	शाखा प्रभारी (टेबलेट/गुटिका)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हेतु 70 अंक	03	00	04	05	05	10	06 एवं अधिक	15	15
14	शाखा प्रभारी (रस)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हेतु 70 अंक	03	00	04	05	05	10	06 एवं अधिक	15	15
15	शाखा प्रभारी (आसव-अरिष्ट)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हेतु 70 अंक	03	00	04	05	05	10	06 एवं अधिक	15	15

- निर्धारित अंको के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। अनुभववी आवेदकों को प्राथमिकता दी जावेगी। इस प्रकार तैयार मेरिट सूची के आधार पर प्रत्येक पद के विरुद्ध 06 आवेदकों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- कंडिका क्र. 03 में दर्शित तालिका में पद क्र. 08 से 15 तक के पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के पास सुरक्षित रहेगा।
- चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के समय समस्त प्रमाण पत्र की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सत्यापन उपरांत ही संविदा नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा।
- कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से 01 का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
- कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
- कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों, और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।
- अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
- समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जावेगी।
- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं को रखता हो।

12. शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के चयन की स्थिति में नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करना होगा ।
13. छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के कर्मचारी भर्ती वर्गीकरण एवं सेवा शर्तें नियम 8 (पाँच) ख छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर (संविदा नियुक्ति) नियम 2013, की कंडिका/नियम 4 (1) एवं 11 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार चयनित अभ्यर्थी की :-
- (i) उपरोक्त पदों पर संविदा नियुक्ति प्रथम बार तीन वर्ष के लिये होगी, किन्तु संघ की आवश्यकता के आधार पर संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा नियुक्ति की अवधि को एक बार में एक वर्ष के लिये बढ़ाते हुये संविदा नियुक्ति का नवीनीकरण किया जा सकेगा ।
 - (ii) संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति, स्वमेव समाप्त मानी जायेगी तथा सेवा समाप्त करने के लिये पृथक से आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा ।
 - (iii) संविदा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को दो माह के वेतन राशि सिक्कोरिटी डिपॉजिट करना अनिवार्य है ।
 - (iv) संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा दो माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में दो माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी, अन्यथा की स्थिति में दो माह का सिक्कोरिटी जमा राशि अधिग्रहित कर ली जावेगी ।
 - (v) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को संविदा सेवा अवधि के लिये किसी भी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी ।
 - (vi) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जायेगा, ताकि यदि तीन वर्ष बाद हेतु उसे पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर उसके कार्य का मूल्यांकन हो सके ।
 - (vii) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की समाजिक सुरक्षा के लिये संविदा वेतन की कम से कम 10% राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा P.P.F. में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देनी होगी, कि कर्मचारी द्वारा किसी योजना का वरण किया गया है । (सेवानिवृत्त आवेदकों के लिए यह लागू नहीं होगा ।)
 - (viii) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी ।
 - (ix) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाश का हकदार होगा, तथा वर्ष के मध्य में नियुक्त होने अथवा सेवामुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के लिये अनुपातिक आधार पर की जायेगी ।

14. कंडिका क्रमांक 03 में दर्शित तालिका में अंकित पद क्रमांक 02 महाप्रबंधक (उत्पादन और प्रशासन) तथा पद क्रमांक 04 प्रबंधक (वित्त और वाणिज्यिक) हेतु केन्द्र शासन/राज्य शासन/सार्वजनिक उपक्रम से उक्त क्षेत्र में अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त अधिकारी भी आवेदन कर सकते हैं। सेवानिवृत्त होने की स्थिति में दिनांक 01.01.2023 को अधिकतम आयु 65 वर्ष से अधिक न हो।
15. सेवानिवृत्त आवेदकों की संविदा नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा नियुक्ति नियम 2012 के अनुसार की जायेगी, जिसके लिये अर्हतायें निम्नानुसार होगी :-
 - (i) सेवा अभिलेख में विगत तीन वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन/कार्य मूल्यांकन का वर्गीकरण बहुत अच्छा अथवा/या उससे उच्च स्तर का हो।
 - (ii) विभागीय जांच/अभियोजन लंबित नहीं होना चाहिये।
 - (iii) सेवा में रहते हुये अंतिम वर्ष में दंडित नहीं होना चाहिये।
 - (iv) पेंशन रोकने के दंड से दंडित नहीं होना चाहिये।
 - (v) सेवा से पदच्युत किये जाने/हटाये जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्त नहीं होना चाहिये।
 - (vi) दोष सिद्ध नहीं होना चाहिये।
 - (vii) सेवा के लिये सामान्य अर्हतायें पूर्ण होना चाहिये।

4. निवासी- सरल क्रमांक 08 से 15 तक के पदों के लिये अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

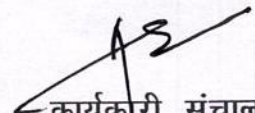
5. अनुभवी आवेदक के संबंध में निर्देश -

1. छत्तीसगढ़ शासन के अधीन कार्यरत शासकीय सेवक तथा विभिन्न नगर निगमों/मंडल राज्य के उपक्रम/अन्य राज्यों एवं भारत सरकार अथवा उनके सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत अथवा राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक अथवा निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत इच्छुक आवेदक को नियोक्ता संस्था के अनापत्ति प्रमाण पत्र नियुक्ति आदेश जारी होने के 1 माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा।
2. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ मूल दस्तावेजों तथा अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित/सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. मूल दस्तावेज सत्यापन -

आवेदक को साक्षात्कार के पूर्व संघ मुख्यालय में मूल दस्तावेजों का परीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा। आवेदन के समय प्रस्तुत जानकारी एवं मूल दस्तावेजों में अंकित जानकारी समान होने पर ही आवेदक साक्षात्कार हेतु पात्र होगा। त्रुटिपूर्ण जानकारी/वांछित जानकारी प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में साक्षात्कार से वंचित किया जायेगा। इस संबंध में कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी साक्षात्कार तिथि को निम्नानुसार मूल दस्तावेजों के साथ 2 सेट में सत्यापित फोटो प्रतियां तथा 01 पासपोर्ट साईज का फोटो भी प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

1. हाईस्कूल प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
2. आवेदन के साथ संलग्न शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र एवं हायर सेकेण्डरी की अंकसूची की मूल प्रति।
3. मूल निवास प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
4. जन्मतिथि प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
5. फोटो युक्त पहचान पत्र (ड्रायविंग लायसेन्स, आधार कार्ड या कोई भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी पहचान कार्ड) तथा पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटोग्राफ।
6. अन्य आवश्यक अभिलेख एवं छायाप्रति।


कार्यकारी संचालक

छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज संघ रायपुर